न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–45/2017

कौशल किशोर पाण्डेय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

चन्द्रशेखर प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.09.2022	वादीगण की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 24.03.2021 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 वो दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिस पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ''**नो आब्जेक्शन**'' लिखा गया है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में जानकारी के अभाव में प्रतिवादी न0–05 के रूप में बीगन साह का नाम दर्ज है जबकि बीगन साह का एक अन्य नाम शामदेव साह भी है। बीगन साह का दूसरा नाम नालिस में दर्ज नही हो पाया है जिसको दर्ज करना अति आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन अत्यंत औपचारिक है। इससे वाद के प्रकृति में कोई प्रभाव नही पडता है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था मेंह है। अतः आवेदन में वर्णित संशोधन वादपत्र में करने की कृपा करें। वादीगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगणों की ओर से उनके विद्वाव अधिवक्ता द्वारा वादीगण के आवेदन पर कोई आपत्ति नही की गयी। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा यह वाद स्वत्व हेतु लाया गया है। वादीगणों की ओर से जो वादपत्र में अपने आवेदन के अनुसार जोडने की अनुमति चाही है। वह सामान्य प्रकृति की है। वादीगण द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन में उल्लिखित शब्दावली से विदित होता है कि प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव होता प्रतीत नहीं होता है। ऐसी दशा में न्याय हित में वादीगण का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 09.11.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	